

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 825] No. 825] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 4, 2007/आषाढ़ 13, 1929 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 4, 2007/ASADHA 13, 1929

पोत परिवहन, सड्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

(पी एंड एम सेक्शन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2007

का.आ. 1094(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त राक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट खंड, उक्त सारणी के स्तंभ (2) के सामने यथाउल्लिखित तत्स्थानी सेक्शन के, उक्त सारणी के स्तंभ (1) में यथावर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग को, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

अनुसूची

राष्ट्रीय राजमार्ग	सेक्शन	खंड किलोमीटर में
सं.		·
(1)	(2)	(3)
4	बंगलीर-होस्कोट-कर्नाटक/ आन्ध्र प्रदेश की सीमा	216.914 कि.मी. से 318.000
	कर्नाटक राज्य में	कि.मी.
22	जीरकपुर-पंजाब/ हरियाणा की सीम्म	39.860 कि.मी. से 41.945
	पंजाब राज्य में	कि.मी.
22	पंजाब/हरियाणा सीम-हरियाणा/ हिमाचल की	40.000 कि.मी. से 62.200
	सीमा हरियाणा राज्य में	कि.मी.
22	हरियाणा/ हिमाचल सीमा-देल्ली की सीमा	62.200 कि.मी. से 67.200
	हिमाचल प्रदेश राज्य में	कि.मी.

[फा. सं. एनएच-14013/4/2007-पी एंड एम] सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (Department of Road Transport and Highways)

(P & M SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2007

S.O. 1094(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988(68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch as specified in column (3) of the Table annexed to this notification, of the corresponding section as mentioned against it in column (2) of the said Table, of the National Highway as described in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highway No.	Section	Stretch in Kilometer
(1)	(2)	(3)
4	Bangalore-Hoskote-	Km. 216.914 to Km.
	Karnataka/Andhra Pradesh border	318.000
	in the state of Karnataka	
22	Zirakpur-Punjab/Haryana Border	Km. 39.860 to Km.
	in the state of Punjab	41.945
22	Punjab/Haryana Border-	Km. 40.000 to km.
	Haryana/Himachal Border	62.200
	in the state of Haryana	
22	Haryana/Himachal Border-Delli	Km. 62.200 to Km.
	in the state of Himachal Pradesh	67.200

[F. No. NH-14013/4/2007-P & M] SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2007

का.आ. 1095(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

(क) क्रम संख्यांक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	राज्य सरकार का नाम
1	2	3
''11	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 4 [0.0कि.मी. से 592.0कि.मी. (बंगलीर	कर्नाटक राज्य सरकार"
	से कर्नाटक से / महाराष्ट्र सीमा) को छोड़कर और 2 16.914	
1	कि.मी. से 318.000 कि.मी. (बंगलौर-होस्कोटे - कर्नाटक/ आन्ध्र	
	प्रदेश सीमा)], सं.4क, सं.9, सं. 13 [743.900कि.मी. से	
]	745.000कि.मी. तक (मारोली जंक्शन से नंतूर जंक्शन) को	
ļ	छोड़कर], सं. 17 [358.000कि.मी. से 375.300 तक	
	(सूरतकल से नंतूर) को छोड़कर], सं. 63, सं. 67, सं. 207,	
	सं. 209 और सं. 212 जो कर्नाटक राज्य के भीतर यथास्थित है	•
	और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 [28.200कि.मी. से 110.00कि.मी.	
	तक (राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 पर नीलमंगला जंक्शन के साथ	
	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 को देवीहाली) को छोड़कर और	
	328.000कि.मी. से 345.000कि.मी. तक (बी.सी.रोड से पोडिल	.*
	जंक्शन)], उतने भाग पर सं. 206, सं. 218 पर स्थित है।	

(ख) क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जांएगी, अर्थात् :-

	<u> </u>	
1	2	3
"20	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 1[212,000 कि. मी. से 387,100 कि. मी.	पंजाब राज्य सरकार"
	तक (हरियाणा/ पंजाब सीमा से जालंधर तक) को छोड़कर] और	
	407.100 कि.मी. से 456.100 कि.मी. तक (जालंधन-अमृतसर)]	
•	सं. 10, सं. 15, सं. 20, सं. 21 (0.000कि.मी. से 0.873कि.मी.	
	तक को छोड़कर), सं. 22 [10.890कि.मी. से 39.960कि.मी.	
	तक को छोड़कर और 39.860 कि.मी. से 41.945 कि.मी. तक	
	(जीरकपुर-पंजाब/ हरियाणा सीमा) को छोड़कर], सं. 64, सं. 70	
	और सं. 71 पंजाब राज्य के भीतर उतने भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग	
	सं. 95 पर स्थित है ।	

(ग) क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जांएगी, अर्थात् :-

1	2	3
"8	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 10, सं. 21क, सं. 22 [5.735 कि.मी. से	हरियाणा राज्य
	10.890कि.मी. और 40.000कि.मी. से 62.200कि.मी. तक	
·	(पंजाब/ हरियाणा सीमा-हरियाणा/ हिमाचल प्रदेश सीमा)को	
	छोड़कर] ,सं. 64, सं. 65, सं. 71, सं. 71ख, सं. 72, सं. 73	
	और सं. 73क जो हरियाणा राज्य के भीतर उतने भाग और	
	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 71क पर स्थित है।	

(घ) क्रम संख्या 9 और उसरो संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जांएगी, अर्थात् :-

1	2	3
"9	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 20, सं. 21, सं. 22 [सीमा सड़क विकास	हिमाचल प्रदेश राज्य
	बिंड को सौंपे गए खंड और 62.200 कि.मी. से 67.200 कि.मी.	सरकार"
	(हरियाणा/ हिमाचल प्रदेश सीमा-देल्ली) को छोड़कर] सं. 21क. सं.	
!	70, सं. 72 और सं. 73क जो हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर उतने	
	भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 88 पर स्थित है।	

[फा. सं. एनएच-14013/4/2007-पी एंड एम] सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन सं. का.आ.1584(अ) तारीख 10 नवंबर, 2005 और का.आ.170(अ) तारीख 8 फरवरी, 2007 द्वारा किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2007

s.o. 1095(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, number S.O.1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the Schedule to the said notification, ____

(a) for serial number 11 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

Serial	Description of National Highway	Name to the
Number		State
		Government
1	2	3
"11	So much of National Highways No.4 excluding from	State
	Km. 0.0 to Km. 592.0 (Bangalore to Karnataka	Government
	to/Maharashtra Border) and from Km. 216.914 to	of
	Km.318.000(Bangalore-Hoskote-Karnataka/Andhra	Karnataka.";
	Pradesh border)], No.4A, No.9, No.13[excluding from	
ŧ	Km. 743.900 to Km.745.000(Maroli Junction to	
	Nantoor Junction)], No.17[excluding from Km.	
	358.000 to Km. 375.300(Suratkal to Nantoor)],	
•	No.63, No.67 No.207, No.209 and No.212 as are	
	situated within the State of Karnataka and National	

1	2	3
	Highways No.48 [excluding from Km.28.200 to Km110.00 (Neelmangla Junction on NH 4 with NH 48 to Devihalli) and from Km.328.000 to Km.345.000(B.C Road to Podil junction)], No.206, No.218	

(b) for serial number 20 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"20	So much of National Highways No.1 [(excluding from	State
	Km. 212.000 to Km.387.100 (Haryana/Punjab	Government
	Border to Jalandhar) and from 407.100 to Km.	of Punjab."
	456.100 (Jalandhar-Amritsar)], No.10, No.15, No.20,	•
	No.21 (excluding Km. 0.000 to Km. 0.870), No.22	
	[excluding from Km.10.890 to Km. 39.960 and from	
	Km. 39.860 to Km. 41.945(Zirakpur-	
	Punjab/Haryana Border)], No.64, No.70 and No.71	
	as are situated within the State of Punjab and	
	National Highway No.95.	

(c) for serial number 8 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -

1	2	3
" 8	Sc much of National Highways No. 10, No.21A, No.22	State
	[excluding from Km. 5.735 to Km. 10.890 and from	Government
	Km. 40.000 to km. 62.200 (Punjab/Haryana Border-	dovernment
	Haryana/Himachal Border)], No.64, No.65, No.71,	of Haryana"
	No.71B, No.72, No.73 and No. 73A as are situated	
	within the State of Haryana and National Highway No.	
	71A.	
5018	タイプ カスー つ	

3018 81707-2

(d) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -

1	2	3
"9	So much of National Highways No. 20, No.21, No.22	State
	[excluding the stretches entrusted to Border Road Development Board and from Km. 62.200 to Km. 67.200 (Haryana/Himachal Border-Delli)], No. 21A, No.70, No. 72 and No. 73A as are situated within the State of Himachal Pradesh and National Highway No. 88.	Government of Himachal Pradesh"

[F. No. NH-14013/4/2007-P & M] SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.

Foot note:— The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide No. S.O. 1584(E), dated 10th November, 2005 and S.O. 170(E), dated 8th February, 2007.